भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3027
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झारखंड और हरियाणा में एबी-पीएमजेएवाई

3027. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में विशेषरूप से गिरिडीह लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और हरियाणा में विशेषरूप से सोनीपत लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत सौंदर्य-शल्य-चिकित्सा, बाह्य रोगी विभाग के व्यय, प्रजनन उपचार और अंग प्रत्यारोपण को भी शामिल करने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त वास्तविक मांग के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि धनराशि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, इसलिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार

निधि आवंटन के संबंध में डेटा नहीं रखा जाता है। परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक नई धनराशि जारी करने से पहले प्राप्त धनराशि का उपयोग-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत हरियाणा और झारखंड राज्य को जारी की गई धनराशि के केंद्रीय हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	**वित्त-वर्ष 2021-22**	**वित्त-वर्ष 2022-23**	**वित्त-वर्ष 2023-24**
हरियाणा	89.95	143.50	95.17
झारखंड	7.98	0.00	83.55

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत केंद्रीय हिस्से में से हरियाणा और झारखंड राज्य द्वारा उपयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य	**वित्त-वर्ष 2021-22**	**वित्त-वर्ष 2022-23**	**वित्त-वर्ष 2023-24**
हरियाणा	89.95	143.50	95.17
झारखंड	7.98	0.00	83.55

एबी-पीएमजेएवाई की अपवर्जन नीति के अनुसार, ऐसी स्थितियाँ जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है और जिनका उपचार बहिरंग परिचर्या के तहत किया जा सकता है, इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं की जाती हैं। इन अपवर्जन मानदंडों में कॉस्मेटिक सर्जरी, ओपीडी व्यय, वंध्यता संबंधित प्रक्रियाएँ शामिल हैं। अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के संबंध में, गुर्दे के प्रत्यारोपण, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, कॉर्नियल प्रत्यारोपण और कोक्लियर प्रत्यारोपण की प्रक्रिया लागत से संबंधित पैकेज पहले से ही इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं।

******